न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 05 / 2020 **RCMS No. 2020 / 00007**

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

सुवटी पत्नी नारायणराम के कायम मुकाम :— गोपाल पुत्र जीवण बोदीदेवी पत्नी जीवण, रतनलाल राजुराम पुत्र रूपाराम, सन्तोष पुत्री रूपाराम झमरी देवी पत्नी रूपाराम गोपाल पुत्र जीवणराम, मोहनलाल पुत्र बागाराम जाट, ओमप्रकाश पुत्र पूर्णमल, ज्ञानाराम पुत्र पूर्णमल नाई, आशाराम पुत्र मोहनराम, गजानन्द पुत्र गोपालराम, किशनीदेवी पत्नी पेमाराम बावरी,कमलादेवी पत्नी भागीरथ, बजरंगलाल पुत्र लिछमणराम बावरी, तुलछाराम पुत्र भवानाराम, आशा पुत्र मोहना गोविन्द पुत्र मोहना, बंशीराम पुत्र गुलाराम, प्रभूराम पुत्र भंवरू, लादूराम पुत्र भंवरू बावरी वगैरह अड़कसर

आदेश

दिनॉक :— 9.10.2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अड़कसर व भू—अभिलेख निरीक्षक चितावा सरपंच अड़कसर अभिशंषा एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 463, 585, 464, 773 / 470, 770 / 470, 771 / 470, 772 / 470, में मौके पर रास्ता चालू है एवं कदीमी रास्ता है जो काफी वर्षो से आवागमन के काम में आ रहा है, मौके पर रास्ता मौके पर ग्राम अड़कसर से शिवनगर जाने वाली सड़क से शुरू होकर बावरियो की ढ़ाणी में मौके पर जाने के रास्ता बना होकर चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 463, 585, 464, 773 / 470, 770 / 470, 771 / 470, 772 / 470, में से 2608 वर्ग मीटर रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक मुताबिक मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट में वर्णित खसरा एवं रकबे माफिक मुताबिक करावें, मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा।

यह आदेश आज दिनॉक 9.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:26:58 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी